Annexure-B 150

<u>रियोली डुगली जलविद्युत परियोजना (420+9.2 = 429.2 मैगावाट) पर्यावरण जन सुनवाई : कार्यवाही</u>

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा श्री विवेक भाटिया, जिलाधीश, लाहौल एवं स्पीति एवं श्री विशाल शर्मा, उपमन्डलाधिकारी, उदयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2016 को रियोली डुगली जलविद्युत परियोजना (420+9.2 मैगावाट) (मै0 एल0 एन्ड टी0 हिमाचल हाइड्रोपावर लिमिटड) को स्थापित करने हेतु पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई प्रातः 11:00 बजे गांव व डाकघर–तिन्दी, जिला–लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न हुई। यह जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की गई।

इस जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारीयों की सूची अनुबन्ध–अ में संलग्न है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित गणमान्य एवं भाग लेने आई जनता का स्वागत किया गया तथा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत करवाया गया। उसके बाद परियोजना प्रबन्धन द्वारा परियोजना से संबन्धित प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रचलित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात उपस्थ्ति जनता को परियोजना महाप्रबन्धक एवं उनके वैज्ञानिक परामर्शदाता, दिल्ली के द्वारा परियोजना के प्रारूप और "विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण" के बारे में अवगत करवाया गया। अन्त में परियोजना के प्रतिनिधि ने स्थानीय जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में स्थानिय जनता का सहयोग मांगा तथा परियोजना द्वारा क्षेत्र के विकास में सहयोग दिए जाने को कहा तथा उपस्थित जन समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके बाद अध्यक्ष जिलाधीश महोदय की अनुमति से जन सुनवाई के दौरान लोगों के द्वारा अपने विचार प्रकट किये। सहायक पर्यावरण अभियन्ता ने कहा की पर्यावरण के बचाव के लिए उन्हें उचित मंच दिया जा रहा है तथा वे निर्भीक होकर अपने विचार, संदेह एवं सुझाव रख सकते हैं। जन सुनवाई के दौरान स्थानिय जनता द्वारा क्रमशः उठाए गये मुद्दे एवं परियोजना प्रबन्धन द्वारा उनका विश्लेषण इस प्रकार है।

इस जन सुनवाई में उठाए गये मुद्दों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क0 सं0	नाम व पता	उठाये गये मुद्दे	उठाये गये मुद्दों का उत्तर
1.	श्री मोती लाल शर्मा, गांव–कुठाह, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना को यहां लगाने का स्वागत करते हैं। ऐसे भी यह चन्द्रभागा नदी हमारे अस्तुओं को बहाने के काम आती है। वैसे भी इससे भारत या हिमाचल को कोई फायदा नहीं है। अगर इस नदी पर परियोजना चले तो हम इसके हक में हैं।	
		1. बुकलैट के आधार पर कार्य शीघ्र शुरू हो तथा यहां पर बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार मिले।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि रोजगार सरकार के नियम के अनुसार हिमाचल के लोगों को दिया जाएगा व उससे ज्यादा भी करेंगे।
		2. LADA का पैसा जो DC या SDM के पास जमा हो ताकि प्रभावित क्षेत्र जो है जैसे तिन्दी में यह परियोजना बन रही है इस क्षेत्र में जो भी बाधांए पड़ती हैं वो पैसा प्रभावित पंचायत में ही खर्च हो।	2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा LADA नीति 2011 के अनुसार 3 हजार से 4 हजार करोड़ रूपये अनुमानित किये जाएंगे और परियोजना के लगने तक जो भी खर्चा आयेगा उसका 1.5% हिमाचल प्रदेश सरकार को जमा

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

			करवाया जाएगा। इस नीति के अनुसार LADA कमेटी राषी का वितरण जिलाधीष की अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रभावित क्षेत्र को 50%, परियोजना प्रभावित मण्डल को 20%, Block को 15%, तथा जिला को 15% मिलता है।
		3. Muck Dumping Point कहां–कहां हैं। Dumping Point से भी कुछ पानी इस नदी में छोड़ा जाए ताकी हमारे अस्तुओं को वहाने के काम भी आ जाए साथ ही हमारे जीव जन्तु प्यासे ना मरें। हमारे माल मवेशी बिना पानी के ना मरें।	3. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि Muck Dumping site का रखरखाव प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड कि परिक्षण के बाद उनके आदेशानुसार जो भी रक्षात्मक कार्यवाही की जानी है वह की जायेगी। हमने प्रारम्भ में 8 Dumping site प्रस्तावित की थी जिसमें 7 की ही अनुमति प्रदूशण नियन्त्रण बार्ड द्वारा प्रदान की गई। Dumping site का विवरण इस प्रकार है– D1 और D2 लोहणी गांव के नजदीक नदी के दाएं किनारे की ओर। D3-ग्रेफ जंक्शन 0 Point लिमतयाढ़ गांव के नदी के दाएं तरफ। D4- अरसेड नाले के दाएं ओर नदी के Left Bank पर। D5- अरसेड नाले के बाएं ओर और नदी के Left Bank पर। D6- रोहली नाले के दोनों तरफ और नदी के Right Bank पर। D7- गोहर नाला के पास नदी के Right Bank पर। उपरोक्त Dumping Sites का हिमाचल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनूमति प्राप्त की जायेगी।
		4. जिलाधीश महोदय कम्पनी के साथ MOU दस्तखत होने से पहले महोदय एक भ्रम और है। हमारी पंचायत के क्षेत्र के लोगों को और हम लोगों को विदित है कि ये बड़े लोग पहले तो Road बनाकर अपनी मशीनरी लाएंगे तभी तो टनल का काम संभव होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे Moserbear कम्पनी के दारे नामक स्थान में से Road और बिजली वाधित हो रही है डुब रही है। अगर इस स्थिति में Road डुबेगा Moserbear	4. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि Road के ढांचे को विकसित करने के बाद मशीनरी लाई जायेगी।

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

152

	कम्पनी की बजह से तो हमें बिधुत कहां से मिलेगी और Road की सुबिधा कहां से होगी।	
	5. हमें विदित है लेकिन कुछ लोगों का कहना है और BRO वाले कह रहे हैं कि कम्पनी वाले हमारे साथ समझौता करें फंडींग करें ताकि हम जो नया सड़क बनेगी जो डुब रही है दारे नामक स्थान पर उसके जगह दुसरा arrangement तैयार करें । ये आपसे में Moserbear हो या एल0 एन्ड टी0 हो जहां–2 बाधित हो रहा है बिजली और Road उसके बारे बात हो। हमारी Public को आस्वस्त करें कि पहले इनकी मशीनरी आएगी, पुल तैयार करेंगे या Road तैयार करेंगे उसके बाद परियोजना का काम शरू होगा सपष्ट किया जाए।	5. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि इस डैम का up stream site में 2 किलोमीटर से थोड़ा कम रास्ता summerge होगा। जिसको हम Realignment करेंगे बनाने से पहले। पहले ये प्रोजैक्ट जो था उसमें allmost 5–6 किलोमीटर Road summerge हो रहा था। इसलिए हमने डैम की Height को 5 मीटर कम कर दिया। जिससे कि Environmental requirement को कम किया और रास्ते का submergence भी कम किया।
	6. सबसे बड़ा हमारा एक लोगों का Point है महोदय हमारा मड़ग्रां नाला हमेशा खराव होता है हमारी फसल जो नगदी फसल है मटर वगैरा गोवी वगैरा नहीं जाते हैं वैसे एक धंदल नाला है हम चाहते हैं कि MOU दस्तखत करने से पहले कम्पनी को इनमें टनलों का निर्माण करवाया जाए। जैसे मडग्रां नाला और धंदल नाला इनमें टनल खोदकर देते हैं इसके बाद ये जो भी करते हैं ताकि हमारी नगदी फसलें मंडी तक रूकें ना व वाधित ना हो इसके बाद माननीय महोदय हमारे लोग चाहते हैं कि ये बेकार का जो पानी है इससे शीघ्र अतिशीघ्र Project बने।	6. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि जो दंगल नाला व मड़ग्रामं नाला है इससे संबन्धित कार्य प्रोजैक्ट की परिकल्पना के अन्दर लेकर सरकार के निर्देषानुसार ही विकसित करेंगे।
	7. टनल खोदने पर जो जहरीली गैस निकलेगी उसका परियोजना प्रबन्धन क्या करेगा। गावं की महिलाओं द्धारा पूछा जा रहा है कि परियोजना 40 साल चलेगी, क्या गांव वालों को बिजली परियोजना द्धारा मुफ्त दी जायेगी।	7. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि टनल से गैस निकलने का अध्ययन Geological Survey of India के द्धारा किया जाता है। वैसे जल विद्युत परियोजना लगाने के इतिहास में इस तरह की घटना अभी तक नहीं हुई है। अगर ऐसा होने की स्थिती में परियोजना प्रतिष्ठित कम्पनी द्धारा इसका निरामय करेगा। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मुफ्त बिजली का प्रावधान नहीं हैं।

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

2.	श्री प्यारे लाल (TAC), गांव–कुठाह, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	जैसे कि हमारे दोस्त श्री मोती लाल शर्मा ने कहा है कि इस परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए । परन्तु हमारी भी कुछ समस्याऐं हैं :– 1. यहां पर बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। यहां पर जो भी परियोजना संबन्धित औपचारिकताएं हैं उनको अतिशीघ्र पूरा किया जाये। 2. Muck का सही निपटान किया जाए तथा उसके उपर Plantation की जाए। 3. हमें और हमारी जनता को सड़क और बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए। 4. कम्पनी का काम शुरू होने में कितना समय लगेगा और कहां–कहां Plantation किया जाएगा व Forest Area और Dumping Area का विवरण दें। एल0 एन्ड टी0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और प्रसाशन से कहूंगा कि जो जनता कहेगी में उसके साथ हूं। मेरी जनता यदि हां करेगी तो प्रोजैक्ट बनेगा, यदि न कहेगी तो नहीं बनेगा।	 1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि रोजगार से संबन्धित जानकारी प्रश्न न0–1 में दी जा चुकी है। 2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित जगह पर ही Muck को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाएगा और उसके उपर मिट्टी की परत डालने के बाद पौधा रोपण किया जाएगा। 3. सड़क से संबन्धित जानकारी प्रश्न न0–1 में दी जा चुकी है। 4. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना का निर्माण DPR जमा होने के उपरान्त एक साल में काम शुरू करना है। परियोजना के लिए 172 है0 वन भूमि लिये जाने का प्रस्ताव है। Dumping Area का विवरण प्रश्न न0–1 में दिया जा चुका है।
3.	श्री संदीप कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत –तिन्दी, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	आज PCB द्वारा जन सुनवाई रखी है जो कि माना NOC के लिए है, इसमें जनता की शक्तियां छीन ली गई हैं और प्रसाशन के हाथ में दे दी हैं। 1. Muck Dumping, Diversion Tunnel की बात की गई, हमें यह बताया जाए कि यहां पर एक गांव लोहणी को विस्थापित करने का विचार तो नहीं है। 2. लोहणी गांव में एक मात्र पीने के पानी का Source है टनल निकलने से Source सूख जाएगा। हर गांव में कम्पनी अपने बल पर पीने के पानी व सिंचाई के पानी की व्यवस्था करे।	परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना में NOC लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना में किसी भी गांव और घर का विस्थापन नहीं है। 2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि लोहणी गांव के निचे से टनल है, और जो सामने Road है Main Road है वहां से 200 मीटर से ज्यादा पीछे है और ये पहाड़ के उपर से 300 मीटर नीचे है। लगभग इस तरह की स्थिति में पहाड़ के उपर स्थित गांव का क्षति होने की संभावना कम है। फिर भी हम लोग कार्य शुरू करने से पहले गांव के प्रधान, ग्राम

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

			पंचायत प्रभावित परिवारों को लेके Jointly इसका पूरा ब्योरा बनाते हैं। इससे जल के स्रोत सूखने की संभावना नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो पेय जल अथवा सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जायेगी।
		3. जो लोग एल0 एन्ड टी0 द्धारा चार लड़के रखें हैं उनको भी जन सुनवाई के बाद बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। हम यह नहीं चाहते।	3. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि रोजगार इस प्रोजैक्ट का काम जब तक चलेगा तब तक तो रोजगार मिलेगा ही परन्तु उसके आगे हम इनको Relocate करते हैं जितने भी काबिल लोग हैं इनको हम Normaly छोड़ते नहीं हैं इनको हम दुसरे प्रोजैक्ट में डाल देते हैं।
		4. L & T अपने कामगारों के रिहायसी मकान गांव के बहार बनाऐं।	4. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना में श्रमिक कैंप स्थापित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
		5. पंचायत क्षेत्र के हर परिवार को रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसी दिक्तों का सामना न करना पड़े जैसा कि सैंज व किन्नौर को करना पड़ रहा है। जन सुनवाई के दौरान जो कहा गया है वैसा ही किया जाए, परियोजना प्रबन्धन अपनी मनमानी न करे।	5. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि रोजगार से संबन्धित जानकारी प्रश्न न0–1 में दी जा चुकी है।
4.	श्री भीम सेन ठाकुर, गांव–कुठाड़, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. 70% स्थानिय लोगों को रोजगार दिया जाए जिसमें कि बेलदार, चौकीदार ही ना हों बल्की बड़ी Post पर भी रोजगार दिया जाए।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि रोजगार से संबन्धित जानकारी प्रश्न न0–1 में दी जा चुकी है।
		2. Project का कार्यालय हमारे यहां तिन्दी में ही स्थापित होना चाहिए।	2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना का कार्यालय तिन्दी में ही स्थापित किया जाएगा।
		3. Road का कार्य कम्पनी का काम शुरू होने से पहले किया जाए तथा बिजली का ध्यान रखा जाए। हम इस परियोजना के हक में हैं। इस परियोजना का काम जल्दी शुरू होना चाहिए। ऐसे भी यह पानी मात्र हमारे अस्तुओं को बहाने के ही काम आता है।	3. Road का कार्य परियोजना का कार्य चलने से पहले किया जायेगा तथा बिजली का भी ध्यान रखा जायेगा।
		4. कम्पनी से जानना चाहता हूं कि क्या School और College का प्रबन्ध भी आप की कम्पनी करेगी।	4. परियोजना चलेगी तो स्कूल बनेगा।
		5. कम्पनी द्धारा जो भी मशीनरी आती है वह हमारे विचार के बाद लाई जाये जैसे JCB व अन्य मशीनरीयां। ठेकेदारी में भी	5. इस प्रोजैक्ट में बहुत ही आधुनिक मशीनरीयां लगानी पड़ती है जो Normaly बाहर से आती हैं, उस मशीनरी को छोड़कर गाड़ीयां

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

		स्थानीय लोगों को पुछा जाये कि ये work है हमें पूछा जाये प्राथमिकता दी जाए। प्रदूषण रोकने का भी ध्यान रखा जाए। पानी की व हवा की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े आपके Project से।	हैं, डम्पर हैं, ट्रक हैं ये सब लोकल में मिल जाएं तो अच्छा है। हम लोकल को प्राथमिकता देंगे। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना में प्रदूषण नियन्त्रण तथा हवा व पानी की गुणवता सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।
5.	श्री बहादुर सिंह, भूतपुर्व उपप्रधान, ग्राम पंचायत–तिन्दी, गांव–कुठाड़, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. इस परियोजना के चलने से सबसे ज्यादा नुकसान लोहणी गांव वालों को है जिसमें कि 10 घर हैं किसी के पास एक बीघा जमीन है और किसी के पास कम है कम्पनी वाले आकर हमारे को ठगकर चले जायेंगे। हम परियोजना को नहीं लगने देंगे। 2. इस परियोजना से हमारे चरागाह लकड़ी बरबाद हो जायेगी। हम प्रसाशन से इसको बनाने के विरोध में हैं।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि एक तो उनको जमीन और Water Resources प्रभावित होने का डर है वह मैने पहले भी बता दिया था। और जैसे मैंने लोहणी गांव को बताया है क्षति होती है, उसको विस्थापित करेंगे, उसको compensation देंगें, सरकार के निर्देषानुसार हम इसको करेंगे, जो हम कर सकते हैं वह ही कहेंगे और जो हम नहीं कर सकते उसके लिए हम हाथ जोड़ देंगें, ये हमारी कम्पनी के आदर्श हैं। 2. परियोजना से गांव को कोई क्षति नहीं होगी किसी का घर किसी की जमीन प्रभावित नहीं होगी। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना से कोई भी चरागाह प्रभावित नहीं होगा।
6.	श्री सुरज ठाकुर, गांव–कैण, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. मैं प्रसाशन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तिन्दी में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कितनी है और यह कहना चाहता हूं कि मैं परियोजना प्रबंधक की काफी बातों से सहमत नहीं हूं, और रोजगार देने की पारदर्शिता नहीं है, इसमें Employment कितने समय के लिये देंगें, 12 साल के लिए देंगें 15 साल के लिए देंगें या कितने समय के लिए देंगें। रोजगार के लिए पारदर्शिता नहीं है। जिनको Appoint किया जायेगा वो तिन्दी के ही होंगे। 2. इस जिला में 570 केस अबैध कब्जे के हुए हैं, जिसमें 100% अबैध कब्जे में अपने घर बनाए हैं। जिसमें तिन्दी में कम से कम 100 केस हैं। 3. इस परियोजना के लगने से जो फसलें व सेब के पेड़ बरबाद होंगे उन को मुआवजा किस तरह दिया जाएगा। पैसे देकर करना या उनको Migrate करने का होगा। परियोजना से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका विस्थापन कहां और कैसे किया जाएगा। 4. क्या Population व वार्ड के हिसाब से	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि प्रश्न का उत्तर परियोजना से संबन्धित नहीं है। रोजगार से संबन्धित जबाव पहले दिया जा चुका है। यह परियोजना के निर्माण तक दिया जायेगा। 2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि प्रश्न का उत्तर परियोजना से संबन्धित नहीं है। 3. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि वैसे तो परियोजना के लगने से फसलें व सेब के पेड़ बर्बाद नहीं होंगें फिर भी ऐसी कोई घटना होती है तो संबन्धित विभाग से बर्बाद हुई फसल का आकलन किया जाएगा व उसकी भरपाई की जाएगी। 4. इस प्रश्न का उतर प्रश्न न0–3(3) में दिया

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

156

		रोजगार मिलेगा। परियोजना 40 साल चलेगी और परियोजना द्वारा लोगों को रोजगार 40 साल तक मिलना चाहिए। 5. कम्पनी को Forest Land जो सरकार दे रही है तो हल्के–2 लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है Public काफी प्रभावित हो रही है।	जा चुका है। 5. यह प्रश्न परियोजना से सम्बन्धित नहीं है।
7.	श्री श्रीराम ठाकुर, गांव–लिमतयाड़, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. इस कम्पनी द्वारा चार साल पहले बना स्टेज को उखाड़ दिया है जिससे इस जगह पर लगने वाला मेला प्रभावित होता है। इस स्टेज का निर्माण अभी तक अधूरा है जिसमें की अभी तक दो खंबे ही खड़े हुए हैं और ना ही अभी तक बनाया गया है। जो की शर्म की बात है। 2. जैसा कि पहले सुरज ने पुछा कि इस परियोजना के लगने से जो फसलें व सेब के पेड़ बरबाद होंगे उनको मुआवजा किस तरह दिया जाएगा। आज से दस साल पहले हमारे यहां कोई सेब की फसल को स्प्रे नहीं किया जाता था। परन्तु अब किया जा रहा है। 3. सड़क की मैटलिंग क्यों नहीं हुई इससे प्रदूषण होगा, जिससे हमारे सेब के पौधौं को नुकसान हो रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं कि गई है।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि प्रथम चरण में स्टेज को उखाड़ा नहीं गया था बल्कि दरुस्त किया गया था। द्वितिय चर्ण में Estimate का काम चल रहा है और परियोजना का काम शुरू होते ही उसको CSR के तहत पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रोजैक्ट शुरू होने से पहले बना देंगें। 2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि Fruit Tree के बारे में आपकी फिर भी प्रदूषण की बजह से यह कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो हम उसे संबन्धित विभागों के द्वारा उसका आकलन करवाकर जो भी भरपाई होगी उसकी हम भरपाई करेंगे। 3. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि प्रश्न परियोजना से संबन्धित नहीं है।
8.	श्री हरी ठाकुर, गांव–बझुंड़, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. जैसा कि पूर्व में किन्नौर में, भाखड़ा बांध में और पौंग बांध में देखा गया है कि विस्थापित हुए लोगों को अभी तक भटकना पड़ रहा है। जिसका घर उजड़ता है उसको बहुत ही दुख होता है परन्तु जिस संकट से देश गुजर रहा है उसको देखते हुए यह प्रोजैक्ट भी लगना जरूरी है। यह प्रोजैक्ट राष्ट्रहित में बनना जरूरी है। इस चन्द्रभागा पर प्रोजैक्ट को राष्ट्रहित में बनाना जरूरी है परन्तु जो जनता ने प्रश्न किए हैं उसके लिए उचित कदम उठाएं कथनी और करनी में फरक नहीं होना चाहिए। छोटी–2 मांगें जैसे Stage उखाड़ने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। इस प्रोजैक्ट को पौंग डैम, भाखड़ा डैम की तरह ना बनाएं। स्थानिय जनता की मांगों को भी ध्यान में रखें यह परियोजना राष्ट्र हित में बनना चाहिए।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि इस परियोजना से किसी भी घर या गांव का विस्थापन नहीं होगा। इसलिए इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। परियोजना में जो भी जनता के समक्ष कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा।
9.	श्री राजू, गांव–लोहणी,	1. डैम के बनने से जो कोहरा उठेगा उसके क्या सुझाव है।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि कोहरा बनना एक प्राकृतिक प्रकिया है जो समय के साथ

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti District
Keylong (H.P.)

	डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।		अपने आप खत्म हो जाता है। परियोजना Run of the River स्किम की है जिसमें जल का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए कोहरा बनने की संभावना नहीं है। दिन में दो बार इसका up down होगा।
10.	श्री ओम प्रकाश, गांव–लिमतयाढ़, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. रोजगार कितने समय तक दिया जाऐगा 10 या 15 साल तक। 2. जो लोग अभी रखें हैं उन्हें रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा।	1. परियोजना प्रबंधन ने बताया कि इसका उत्तर प्रश्न कम सं0 6(1) में श्री सुरज ठाकुर को दिया जा चुका है। 2. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना चलने की दशा में ही लोगों के लिए रोजगार संभव होगा।
11.	श्री सुरेश, गांव–सलग्रां, डाकघर–तिन्दी, उप तहसील–उदयपुर, जिला–लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।	1. यदि डैम यहां बनता है तो इसका पानी कहां तक जाएगा। और वहीं से जो सलग्रां गावं जो पानी में डूब जायेगा तो कम्पनी क्या करेगी। हमारे पेड़ पौधे जो पानी में जलमग्न हो जायेंगे इसके लिए कम्पनी ने क्या सोचा है। और इससे चरागाह, पेड़ पौधे और हमारा जो श्मशानघाट है जलमग्न हो जाएंगे, इसका क्या प्रावधान होगा।	1. परियोजना प्रबंधन ने कहा कि परियोजना में बांध के निर्माण से 5.4 किलोमीटर तक का जलाशय बनेगा। इससे 55 हैक्टर submerge होगा। इससे कोई भी चरागाह प्रभावित नहीं होगा। श्मशानघाट भी प्रभावित होने की संभावना नहीं हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो दूसरी जगह पर व्यवस्था की जाएगी। वन विभाग के नियमानुसार पेड़ों की कटाई 4 metre से कम नहीं की जाती है अगर पानी की सतह उपर नीचे होती है तो।

अंत में पर्यावरण जन सुनवाई के समापन के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह पर्यावरण जन सुनवाई का ग्रामपंचायत की NOC की प्रकिया से कोई सम्बंध नहीं है, जिसकी प्रकिया अलग से होगी। सरकार आगे देखेगी परियोजना बनती है या नहीं । इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी समस्यांऐं हैं इन्हें भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। मैं समस्त जनता का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने सुझाव दिये। आज की जन सभा इसलिए बुलाई गई कि लोगों को पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर जो Study की गई वह आपके समक्ष बताई जाये। जो Term of References (TOR), वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आई जिसमें प्रोजैक्ट प्रबन्धन को आदेश दिये गये थे कि परियोजना बनने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको ठीक करने का आपके पास क्या उपाये हैं। यह दो चीजें थीं इन दोनों चीजों को बताने के लिये इस प्रयोजन को आयोजित किया गया था तथा इसका NOC की प्रकिया से कोई लेना देना नहीं है। इसकी प्रकिया अलग से होगी। आपने जो अपनी समस्या, आपतियां व सुझाव जाहिर किये, यह परियोजना आपकी आपतियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। तो इसके साथ मैं आप सभी लोगों का यहां पर आने का धन्यवाद करता हूं तथा आपका स्वागत भी करता हूं जो आपने अपने सुझाव हमारे यहां दिये उनके उपर प्रोजैक्ट प्रबन्धन उचित निर्णय लेगा। आप सभी का यहां आने पर बहुत–बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार जन सुनवाई समाप्त की एवं लोगों का इस जनसुनवाई में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया।

Deputy Commissioner Lahaul & Spiti District Kyelong (H.P.)

जिलाधीश
जिला लाहौल एवं स्पीति, स्थित केलांग
हिमाचल प्रदेश।